



# कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/4407

भिलाई, दिनांक 05/07/2022

## // आदेश //

छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) का उपयोग करते हुये अधिनियम की धारा 293, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 307, 308 (क), 309, 310, 372, 434 के अंतर्गत एवं भूमि विकास नियम 1984 कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आयुक्त की शक्तियां 200 वर्गमीटर तक आवासीय व आवासीय सह व्यवसायिक भूखण्डों के निराकरण हेतु आयुक्त की शक्तियाँ श्री ए.के.द्विवेदी, अपर आयुक्त, न.पा.नि. भिलाई को प्रत्यायोजित की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

*(लोकेश चन्द्राकर)*  
(लोकेश चन्द्राकर)  
रा.प्र.से.

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
*(लोकेश चन्द्राकर)*  
भिलाई, दिनांक 05/07/2022

पृ. क/एफ-166/स्टे.आयु./2022-23/4408

### प्रतिलिपि:-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, दुर्ग, जिला-दूर्ग को सूचनार्थ।
3. श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/उद्यान/कम्प्युटर/भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. भवन निर्माण अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख ..... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

*(लोकेश चन्द्राकर)*  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
*(लोकेश चन्द्राकर)*  
भिलाई